

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, श्रीमती वन्दना सिंघवी, आई.ए.एस.



अपील संख्या : 01/2014 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975
जीसीएमएस नं. : 2014/00219

अनवानी :- अमित कुमार उर्फ सोनू पुत्र स्व. श्री मदनलाल जाति अरोड़ा निवासी
वार्ड नंबर 9, पुलिस थाना श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

— अपीलांत

— बनाम —

राजस्थान सरकार।

— रेस्पोंडेन्ट

उपस्थित :- श्री सुरेश मोहता अभिभाषक अपीलान्त
श्री गजेन्द्रसिंह राठौड़ लोक अभियोजक राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक 13.03.2024

1. यह अपील राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 6 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (नगर) श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 14.3.2014, जिसके द्वारा अपीलान्त को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3(1) के अन्तर्गत जिला क्षेत्र श्रीगंगानगर से तीन माह की अवधि के लिए जिला बदर करने के आदेश दिये गये, के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।
2. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर द्वारा सहायक लोक अभियोजक के माध्यम से दिनांक 01.10.2012 को अति. जिला मजिस्ट्रेट (नगर) श्रीगंगानगर के समक्ष राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत अपीलार्थी अमित कुमार उर्फ सोनू पुत्र स्व. श्री मदनलाल जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नंबर 9, पुलिस थाना श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर के विरुद्ध इस्तगासा इस आशय का प्रस्तुत किया कि अपीलांत के विरुद्ध कुल 03 प्रकरण वर्ष 2012 में दर्ज हुए हैं, जिसमें 2 प्रकरण जुआ अधिनियम तथा 01 प्रकरण आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज हैं। अपीलांत सट्टा करने का आदी है, जिसकी समाज में आम शौहतर खराब है। अपीलांत सायल के खिलाफ लोग अपनी जान एवं सम्पत्ति के नुकसान के भय के कारण गवाही देने को तैयार नहीं है। इसके विरुद्ध जुआ अधिनियम के अन्तर्गत कुल

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

2 प्रकरण दर्ज हुए जिनमें से दोनो प्रकरणों में न्यायालय द्वारा सजायाब किया गया है। आबकारी अधिनियम के तहत एक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। अपीलांत गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (ख) की श्रेणी में आता है, अतः गैर सायल का जिले से बाहर होना जनता के हित में है।



3. उपर्युक्त इस्तगासा प्रस्तुत होने पर न्यायालय अति.जिला मजिस्ट्रेट.(नगर) श्रीगंगानगर द्वारा अपीलांत को जरिये वारंट तलब किये जाने पर दिनांक 27.01.2014 को उपस्थित हुआ, लेकिन पुनः दिनांक 4.3.2014 को अनुपस्थित रहा। अपीलांत को साक्ष्य प्रस्तुति के पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद उसके द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं किये जाने पर अपीलांत के विरुद्ध दिनांक 13.3.14 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई।
4. तत्पश्चात न्यायालय अति.जिला मजिस्ट्रेट.(नगर) श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 14.3.2014 को अपीलान्त के विरुद्ध गुण्डा नियंत्रण एक्ट की धारा 3 की उप धारा 1 के खण्ड (क)(ख) और (ग) में विरचित तीनों आरोप सिद्ध मानते हुए अपीलांत को जिला क्षेत्र श्रीगंगानगर से 3 माह की अवधि के लिए जिले से निष्कासित किये जाने के आदेश पारित किये। अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (नगर) श्रीगंगानगर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.03.2014 के विरुद्ध गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 6 के अन्तर्गत अपीलान्त द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है।
5. अभिभाषक अपीलांत ने दौराने बहस कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि विरुद्ध एवं प्राकृतिक न्याय क सिद्धांतों के विपरीत है। अधिनस्थ न्यायालय ने मात्र इस्तगासा के ही आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। पुलिस थाना श्रीकरणपुर द्वारा अपीलांत के विरुद्ध जिन मुकदमों का अंकन किया है, वे तमाम मुकदमे झूठे व बेबुनियाद है। अपीलार्थी के विरुद्ध धारा 107, 151 दण्ड प्रक्रिया संहिता का कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, ना ही कभी प्रार्थी द्वारा कोई शांति भंग की गई है और ना ही इस प्रकार का कोई प्रकरण दर्ज है। अपीलांत एक अच्छे चालचलन तथा अच्छी शोहरत वाला व्यक्ति है। अपीलांत अधिनियम में वर्णित धारा 3 क, ख व ग की परिधि में नहीं आता। अधिनस्थ न्यायालय को वर्तमान प्रकरण सुनने व तय करने की क्षेत्राधिकारिता व श्रवणाधिकारिता ही नहीं है। अतः अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.03.2014 निरस्त फरमाया जावे।
6. प्रकरण में राज्य पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी ने अपनी बहस में बताया कि अपीलान्त के विरुद्ध इस्तगासा में वर्णितानुसार 2 मामले राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग ऑर्डिनेंस के अंतर्गत दर्ज हुए थे, जिसकी रोकथाम आवश्यक थी। प्रकरण में धारा 3(1) की उप धारा 'क' 'ख' 'ग' में विनिर्दिष्ट स्थितियों को

4
सहायक आयुक्त
श्रीगंगानगर

सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा तथा अभियोजन पक्ष के गवाह के अनुसार गैर सायल जुआ सट्टे का आदि है। इसकी आम शोहरत अच्छी नहीं है, मोहल्ले के आम जन तथा लोग इसके विरुद्ध गवाही देने से डरते हैं। अपीलांट गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (ख) की श्रेणी में आता है। अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश यथोचित है। अतः अपील अपीलान्त निरस्त फरमाई जावे।

7. हमने उभय पक्ष की बहस को मध्यनजर रखते हुए पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर) श्रीगंगानगर द्वारा अपीलांट को 3 माह की अवधि के लिए जिला क्षेत्र श्रीगंगानगर से निष्कासित किये जाने के आदेश पारित किये तथा उक्त निष्कासित अवधि में अपीलांट का मुख्यालय जिला बीकानेर रखे जाने के आदेश दिये गये। अपीलान्त गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 की उप धारा (1) के खण्ड 'क' 'ख' 'ग' में विनिर्दिष्ट तीनों शर्तें पूरी करता है। उपरोक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर) श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.03.2014 न्यायोचित होने के कारण उक्त आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं। अतः अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.03.2014 यथावत रखा जाकर अपील अपीलान्त इसी स्तर पर खारिज की जाती है।
8. तदनुसार अपील अपीलान्त निर्णीत शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा अधिनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड मय निर्णय प्रति सहित लौटाया जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 13.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



9.11/3/24
(वन्दना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर